[Shri Morarji Desai]

Our trade with France is comparatively small; our exports to that country during 1967-68 amounted to only Rs. .6 crores, while imports were about Rs. 33 crores. Nevertheless, it would in our view be desirable that all the exports of the developing countries, including India, be exempted from any measures that may be taken to curb imports, whether in the United Kingdom or any other developed countries.

10. We are glad that there is recognition that imbalances in payments have to be corrected by action on the part not only of the deficit but also of the surplus countries. In this connection we welcome the measures taken by the Government of the Federal Republic of Germany.

11. Hon. Members will be concerned about the impact of recent monetary developments on the flow of assistance to developing countries, including India. To the extent that the remedial measures taken help to restore international monetary stability, they would secure a more stable climate for the flow of international assistance. We have always emphasised that developed countries should not allow transitory difficulties to deflect them from the fulfilment of their international obligations. It has ben urged, for example, that despite the delay in the United States of America making its contribution to the International Developments Association, other developed members of the Association should make their proposed contributions immediately available, as Canada has already done. It is our earnest hope that recent developments will not deter other countries from following the lead that Canada has once again given in the field of developmental assistance. In fact, as far as surplus countries are concerned, it would be in keeping with their desire to assist in the restoration of international monetary stability to provide a larger quantum of assistance to the developing countries.

12. In conclusion I should like to make it clear that, as far as we are concerned, there is no question of any change in the external value of the Indian rupee.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, it should be circulated because it relates to a very important matter.

MR. SPEAKER: Naturally. It is now laid on the Table. It will be circulated. I hope there are enough copies for circulation.

12.55 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

(Arrest of Shri Madhu Limaye)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, की गिरफ्तारी के प्रश्न को लेकर एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

सदन के नियम 229 में लिखा है :

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker."

लोक सभा के बुलेटिन पार्ट 2, नम्बर 882, दिनांक 8 नवम्बर 1968 में श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लिखा है :

"Arrest of Shri Madhu Limaye

The following telegram addressed to the Speaker, Lok Sabha, was received on the 7th November, 1968:—

'Monghyr, Dated 6th November, 1968.

This morning at 9 A.M. Shri Madhu Limaye, Member, Lok Sabha, along with 44 others, arrested at Lakhiserai railway station in connection with violation of orders under section 144 Cr. P. C.'."

नियम 229 के अनुसार श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हमारे सामने आने वाली यह पहली खबर थी । आप जानते हैं कि 11 नवम्बर से लेकर लगातार हम लोगों ने इस सदन में इस बारे में प्रश्न पूछे । उसका नतीजा यह निकला कि 19 नवम्बर को गृह मन्त्री ने यहां बयान दिया । मैं वह बयान पूरा नहीं पढ़ रहा हूं । मैं उस का रेलिवेंट हिस्सा यहां पर पढ़ना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है :

"As regards Shri Madhu Limaye, according to information furnished by the State Government, he was arrested under the direction of a magistrate on duty on November 6, 1966 at Lekhisarai under Section 151 and 107 Cr.P.C. and Section 188 I.P.C. He was produced before the sub-divisional Magistrate, Monghyr the same day, and on his refusal to furnish a bond he was remanded to judicial custody. It is understood that Snri Limaye has filed a *habeas corpus* petition before the Supreme Court."

गृह मन्त्री के इस बयान में दफ़ा 144 का कहीं उल्लेख नहीं रहा । बल्कि उन्होंने यह बताया कि धारा 151 और 107, सी० आर० पी० सी० और धारा 188, आई० पी० सी०, के मातहत श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी हुई ।

यही प्रश्न राज्य सभा में उठा । 21 नवम्बर को राज्य सभा में श्री राज नारायण ने इस प्रश्न को उठाया । उन्होंने इस बारे में 20 नवम्बर को चेयरमैन को नोटिस दिया और 21 नवम्बर को जब गृह मन्त्री को वहां बुला कर इस प्रश्न का खुलासा मांगने का समय आया, तो श्री राज नारायण द्वारा कई बार पूछे गये इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि किस दफ़ा के अन्तर्गत श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी हुई है, श्री चव्हाण ने कहा :

"Sir, the basic fact is, the magistrate before whom Shri Limaye was produced offered to release him on bond, but he refused. He has filed a *habeas corpus* and the whole matter is before the court. I cannot say anything about it. But the main point is that Shri Madhu Limaye was offered to be released on bond.'

उसके बाद श्री राज नारायण ने पूछा "चेयरमैन साहब मैं जानना चाहता हूं कि किस दफ़ा में वह पकड़े गये हैं ,, तब श्री चव्हाण ने बताया :

"This is not a matter on which I can give information. I will require notice for it."

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): On a point of order, Sir. Can the proceedings in the other House be made a point of order in this House?

MR. SPEAKER: No.

SHRI THIRUMALA RAO: That is what he is doing.

AN HON. MEMBER: He is quoting from there.

MR. SPEAKER: He may quote anything from the other House, but the point of order is on something else.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): It is a privilege issue.

MR. SPEAKER: On that basis the point of order is not being raised, but

[Mr. Speaker].

on the discrepancy between the statement of the Home Minister and the telegram which the Speaker received. Let us hear him before we decide anything.

SHRI THIRUMALA RAO: He is quoting as part of his argument what has happened in the other House.

MR. SPEAKER: He can also quote what happened there and outside also. But the main thing is something which happened in this House. Let us hear him first.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, 19 नवम्बर को गृह मन्त्री ने इस सदन में दफ़ा 151 और 107 सी० आर० पी० सी० का उल्लेख किया, लेकिन उस सदन में उन्होंने यह बात कहने से इंकार कर दिया। उससे यह साफ़ हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है खास तौर से इसलिए कि 8 नवम्बर के बुलेटिन में यह छपा था कि श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी दफ़ा 144 के मातहत हुई।

13 hrs.

गृह मन्त्री ने जिस दफ़ा का इस सदन में जिक्र किया था, उस दफ़ा 151 को आप देखें। दफ़ा 151 इस प्रकार है :

"A police officer knowing of a design to commit any cognisable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented."

यानी 151 दफा यह है कि अगर कोई गुनाह करने वाला है यह अगर पुलिस आफिसर को पता लगता है तो फिर वह गुनाह न हो जाय, इसलिए उनको वह गिरफ्तार कर सकता है और 107 दफा जो चव्हाण साहब ने यहां बताई वह यह कहती है कि :

"Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Magistrate of the First Class is informed that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquillity, the Magistrate may, in manner hereinafter provide, require such a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond . . .".

और कुछ है इसमें ज मतलब का नहीं है, उसको मैं नहीं पढ़ता हूं लेकिन 151 सी० आर० पी० सी० में अगर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की ताकि वह गुनाह न करे, गुनाह किया इसलिए नहीं, बल्कि गुनाह न करे, इसलिए तो फिर 107 में उसको अदालत में पेश करने के बाद वह बांड दे और बाहर चले ऐसा मैजिस्ट्रेट उनको कह सकता है। यह बांड देने का जो तरीका है उसके लिए उसी 107 के एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखा है :

"In the proceedings under Section 107 Cr. P. C. before an order directing the accused to execute interim bond under Section 117 (3) is passed, reading over of the order under Section 112 and explaining its substance to the accused is a necessary condition precedent to the making of such an order."

अब 112 में ऐसा लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि मैजिस्ट्रेट आर्डर करे, उस आर्डर को जो उनके सामने पेश किए हुए गुनाहगार हैं, उनको सुनाए। लेकिन मधु लिमये जी का पत्र आया था जिसको मैंने पढ़ कर सुनाया, उन्होंने साफ लिखा है कि 112 के अन्तर्गत जो आर्डर पास होना चाहिए था वह आर्डर पास नहीं किया गया। उनको कोई बात नहीं सुनाई। उनके ऊपर क्या आर्डर है, यह नहीं बताया। 151 के अन्दर गिरफ्तारी उनके द्वारा ऐलान करने में आ गई।

मैंने जो आपको इस प्रिविलेज को लेकर नोटिस दिया था उसमें पुलिस आफिसर का जो बयान था वह दिया था—पुलिस आफिसर ने कहा है :

"Report under Section 107 Cr. P. C. and I. P. C. 188 within a fornight through proper channel will be submitted."

यह उनका बयान है । अब मैं यहां पर जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं वह दो प्रकार का है :

(1) इस सदन को जो मैजिस्ट्रेट से मालूमात आई कि 144 के अन्दर यह उनकी गिरफ्तारी हो गई यह मालूमात गलत हैं । जो गृह मन्त्री जी ने बताया वह 151/107 सी० आर० पी० सी० वाली बात बताई और 188 आई० पी० सी० वाली बात जो उन्होंने यहां पर बताई, 188 आई० पी० सी० में आप को सुनाऊं, 188 आई० पी० सी० में मधु लिमये की गिरफ्तारी हुई होती तो 151 और 107 सी० आर० पी० सी० की बात आ ही नहीं सकती थी क्योंकि इंडियन पीनल कोड की दफा 144 तोड़ने का काम किया हो तो तत्काल उनको चार्जशीट पेश करनी चाहिए थी और फिर 107 में बांड पर छोड़ने वाली बात आ ही नहीं सकती थी । इसलिए मेरा यह विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि मैजिस्ट्रेट ने जो गलतबयानी सदन के पास भेजी है उसके आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल उठाया जाय ।

दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न मैं गृह मन्त्री जी के खिलाफ उठाना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी ने गलत मालूमात इस सदन को दी हैं और यहां मालूमात देने के बाद दूसरी जगह पर जाकर कहा है हम को और नोटिस चाहिए यह मालूमात देने के लिए, इससे यह बात साफ होती है कि वह कुछ तथ्य को इस सदन से छिपाना चाहते हैं ।

और तीसरा प्रश्न मुझे आप के सामने यह पेश करना है कि मधु लिमये जी को रिहा करने का अधिकार इस सदन को है और इस सदन को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए । मैं आप को मेज पालियामेंट्री प्रैक्टिस से प कर सुनाना चाहता हूं कि इस सदन को अधिकार है कि मधु लिमये जी की गलत गिरफ्तारी को रद्द करके तत्काल उन को रिहा करने के लिए कहे । यह 17 वें एडीशन का पेज नं० 120 है :

"It is a contempt to cause or effect the arrest save on a criminal charge of a Member of the House of Commons during a session of Parliament or during the forty days preceding or forty days following a session."

अब अध्यक्ष महोदय, यहां मैं जानता हूं सरकार की ओर से या और लोगों की ओर से यह कहा जायगा कि सेव आन क्रिमिनल चार्ज; ऐसा इसमें लिखा है । लेकिन क्रिमिनल चार्ज क्या है, इसका भी इस मेज पालियामेंट्री प्रैक्टिस में खुलासा किया हुआ है । पेज 78 और 79 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

"by the laws and usage of Parliament, privelege of Parliament belongs to every Member of the House of Commons in all breach of the peace".

अब अध्यक्ष महोदय, यहां कोई ट्रेजन वाला मामला नहीं है, कोई फैलोनी का मामला नहीं है और न ब्रीच आफ पीस यहां पर हो चुका है क्योंकि 151 में गिरफ्तारी की जसा गृह मन्त्री ने बताया तो ब्रीच आफ पीस का मामला खड़ा नहीं हुआ ।

और अन्तिम बात हम लोगों के अधिकार के बारे में है । वहां हमारा अधिकार है या नहीं इसके बारे में मेज पालियामेंट्री प्रैक्टिस के पेज 72—73 की ओर आपका ध्यान मै जाना चाहता हूं :

[श्री ज र्ज फरनेन्डीज]

"the right of either House of Parliament to set a privileged person at liberty and the right to punish those who make or procure arrests."

यह इस सदन का अधिकार है और इसके तीन केसेज उन्होंने यहां पर साइट किए हैं, ग्रास-गिल्स केस, मिल्स और बर्टन केस जो 72 नम्बर के पन्ने पर दिया हुआ है कि हाउस आफ कामन्स के अपने सदस्य को जब अदालत ने या दूसरे लोगों ने गिरफ्तार किया था तो हाउस आफ कामन्स ने अपने सदस्यों को रिहा करने का हुक्म दिया और उनको रिहा किया गया। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि मेरे यह जो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं इन को आप स्वीकार करें और मधु लिमये जी को तत्काल रिहा करने के लिए आप आदेश दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, या तो इसको आप प्रिविलेज कमेटी को भेज दें या सदन को चर्चा करने का मौका दें, कौन सा तरीका आप अख्त्यार करने जा रहे हैं?

SHRI S. KUNDU (Balasore): This must be discussed.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): One submission to you.......

MR. SPEAKER: Is he supporting Mr. Fernandes?

SHRI S. M. BANERJEE: I only support what Mr. Vajpayee said: either we should get an opportunity to discuss or it should be referred to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: Before any decision is taken, I must give notice to the Government, and they must also give me the facts. I would not give my ruling or anything like that now. I would also like to hear the Government, probably tomorrow or the day after. I have also received a letter from Mr. Limaye straight from the jail. Therefore, I would like to give my careful thought to it.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरा निवेदन है कि जो कुछ श्री फरनेन्डीज ने कहा है उसमें से एक बात साफ़ है कि सदन को जो सूचना दी गई जो मैजिस्ट्रेट से आई उस में और जो गृह मंत्री ने सदन में कहा उस में अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : मुझ को भी साफ होना पड़ेगा, आप को तो साफ हो गया।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वह अभी भी जेल में हैं, तो उनकी रिहाई की बात तो होनी चाहिए। अभी वह दिल्ली में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको सरकार ने खड़ा किया है। तो आप गृह मंत्री से उनको छोड़ने के लिए तो कहिए।

13.09 hrs.

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

ADVISORY COUNCIL OF THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): On behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) (h) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Shri Jagannath Pahadia resigned."